रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-92/2026/2149/22-2-2025-17(224)/2025
लखनऊ : दिनांक: 28 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.7.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(च) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गॉधी जयंती 2025 (02 अक्टूबर, 2025) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मनोज शर्मा (बन्दी संख्या-17699) पुत्र श्री ब्रजकिशोर, म0न0-1/4706डी, बलबीर नगर, थाना-शाहदरा, दिल्ली, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-55/2004 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, (द0प्र0क्षे0), आगरा के आदेश दिनांक 26.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-25.07.2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 21.10.2022 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 02.10.2025 तक अपरिहार 21 वर्ष, 07 माह, 06 दिन तथा 27 वर्ष, 11 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/- (रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-92/2026/2149(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
3- पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।